अध्याय II : कृषि मंत्रालय

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड

2.1 विशिष्ट रोगजनक मुक्त झींगा सन्तति गुणन केन्द्र की स्थापना पर निष्फल व्यय

आरेखणों के प्रस्तुतीकरण पर फर्म को 90 *प्रतिशत* का भुगतान करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के साथ पार्टियों की वित्तीय क्षमताओं को सुनिश्चित किए बिना अनुबंध करने के कारण सात वर्ष बीत जाने के बाद भी परियोजना के गैर-स्थापन के परिणामस्वरूप ₹ 5.82 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। भारतीय झींगा कृषकों को रोग मुक्त पेनोस मोनोडोन शुक्राणु आपूर्ति करने का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हुआ।

रोग-मुक्त झींगा समूह स्टॉक की कमी के कारण कृषि मंत्रालय (कृ.मं.) ने, 27 जून 2006 को संघीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों से पेनोस मोनोडोन के शुक्राणु आयात करके एक संयुक्त कार्यक्रम के रूप में भारत में एक विशिष्ट रोगजनक मुक्त गुणन केन्द्र (वि.रो.मु.-गु.के.) की स्थापना करने का निर्णय लिया। वि.रो.मु.- गु.के. की स्थापना करने का उद्देश्य देश में काला टाइगर झींगा के रोग मुक्त शुक्राणु (पेनोस मोनोडोन) का उत्पादन करना तथा इसकी आपूर्ति देश के झींगा कृषकों को करनी थी। उसी बैठक में यह भी निर्णय किया गया था कि मैसर्स मोआना प्रौद्योगिकी, हेवेई, यू.एस.ए. (एक फर्म) द्वारा शुक्राणु भारत लाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

फर्म द्वारा शुक्राणु के उत्पादन हेतु प्रस्तावित वि.रो.मु.-गु.के पर एक विस्तृत प्रस्तुति दिसंबर 2006 में दी गई थी । इसके पश्चात यू.एस.ए. में फर्म को दी गई सुविधाओं, प्रौद्योगिकी के स्तर एवं वि.रो.मु.-गु.के. के संस्थापन के संबंध में अन्य विवरणों के आकलन करने के लिए कृ.मं. द्वारा गठित सम्यक उद्यम दल ने एक दौरा किया था (फरवरी-2007)। दल ने, भारत में फर्म द्वारा, वि.रो.मु.-गु.के. की स्थापना करने की अनुशंसा की (फरवरी 2007)।

कृ.मं. के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (रा.म.वि.बो.) ने मैसर्स मोआना होंग कोंग लि. (मोआना प्रौद्योगिकी, यू.एस.ए. स्वामित्व की एक कंपनी, मोआना के रूप में भी संदर्भित) तथा मैसर्स भारतीय मोआना प्रौद्योगिकी (प्रा.) लि. (भा.मो.प्रौ.प्रा.लि.-सं.उ.कं.), भारत में एक संयुक्त उद्यम, के साथ एक समझौता किया (मार्च 2008)। समझौते की शर्तों में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित का भी प्रावधान थाः

➢ मोआना के संकल्पनात्मक आरेखण के अनुसार आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में रा.म.वि.बो. द्वारा 40 हेक्टेयर क्षेत्र में 5.2 मिलियन यू.एस. डॉलर (₹ 21 करोड़) (भूमि की लागत को छोड़कर) के अनुमानित निवेश पर एक पूर्ण वि.रो.मु.-गु.के. की स्थापना करना।

➢ रा.म.वि.बो. द्वारा वि.रो.मु.-गु.के. का टर्नकी आधार पर संकल्पनात्मक आरेखण तथा निर्माण के निरीक्षण का कार्य मोआना को सौंपा जाएगा।

➢ मोआना को 600,000 यू.एस. डॉलर (अनुबंध के हस्ताक्षर होने तथा संराचनात्मक आरेखण प्रस्तुत होने के पश्चात 300,000 यू.एस. डॉलर तथा भूमि के अधिग्रहण तथा आरेखणों के अंतिम ब्लू प्रिंट के प्रस्तुतीकरण पर 240,000 यू.एस. डॉलर तथा वि.रो.मु.-गु.के. सफलतापूर्वक चालू होने पर शेष 60,000 यू.एस. डॉलर) का कुल भुगतान किया जाएगा।

➢ मोआना, भा.मो.प्रौ.प्रा.लि.-सं.उ.कं. में बड़ा शेयर धारक होगा तथापि यदि कोई वित्तीय चूक होती है तो भा.मो.प्रौ.प्रा.लि.-सं.उ.कं. की जवाबदेही होगी तथा मोआना केवल प्रौद्योगिकी दोष के संबंध में जिम्मेदार तथा उत्तरदायी होगी।

➢ रा.म.वि.बो. निवेश (सुविधाएं तथा भूमि) के पांच *प्रतिशत* लाइसेंस शुल्क के वार्षिक भुगतान पर निर्मित वि.रो.मु.-गु.के. सुविधा को भा.मो.प्रौ.प्रा.लि.-स.उ.के. को लाइसेंस पर देना।

➢ लाइसेंस की शर्त संचालन के शुरू होने पर आरंभ होगी तथा आठ वर्षों तक चलेगी।

रा.म.वि.बो. ने, फर्म द्वारा संरचनात्मक आरेखणों तथा आरेखणों के अंतिम ब्लू प्रिन्ट प्रस्तुत करने के बाद मार्च 2008 में मोआना को 540,000 यू.एस. डॉलर का भुगतान किया। के.लो.नि.वि. ने ₹ 47.12 करोड़ की लागत पर प्राप्त भूमि पर आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में ₹ 2.85 करोड़ की लागत पर वि.रो.मु.-गु.के. की स्थापना के परियोजना कार्य के लिए प्रस्ताव (अगस्त 2009) तथा संशोधित प्रस्ताव (दिसम्बर 2009) प्रस्तुत किया। तथापि, भा.मो.प्रौ.प्रा.लि.-सं.उ.कं. अर्थात भारतीय सं.उ. द्वारा संशोधित अनुमान पर पांच *प्रतिशत* के लाइसेंस शुल्क के भुगतान हेतु स्वीकृति न भेजने के कारण, रा.म.वि.बो. ने वि.रो.मु.-गु.के. के निर्माण हेतु निविदाएं मंगाने के लिए संस्वीकृति नहीं दी।

रा.म.वि.बो. ने अनुबंध की शर्तों का पालन न करने के लिए मोआना के विरूद्ध कानूनी नोटिस जारी किया (जुलाई 2011)। प्रत्युत्तर में, मैसर्स भा.मो.प्रौ.प्रा.लि. (अगस्त 2011) तथा मोआना (नवम्बर 2011) गुणन केन्द्र की स्थापना में हुए विलम्ब के लिए एक दूसरे

को दोषी ठहराया। इसके अतिरिक्त, रा.म.वि.बो. द्वारा गतिरोध समाप्त करने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किए गए।

रा.म.वि.बो. के अभिलेखों की जांच परीक्षण से प्रकट हुआ कि यद्यपि वि.रो.मु.-गु.के. की स्थापना से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर ₹ 5.82 करोड़[1] की राशि का व्यय किया गया था, तथापि यह सुविधा अप्रैल 2013 तक स्थापित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त संवीक्षा में निर्माण कार्य देने में निम्नलिखित कमियां प्रकट हुईः-

- एकमात्र प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में परियोजना के कार्य को वित्तीय क्षमताओं का मूल्यांकन किए बिना तकनीकी क्षमताओं के मूल्यांकन के आधार पर मोआना को सौंप दिया गया। मोआना, मैसर्स अर्नेस्ट एण्ड यंग, होंग कोंग के लेखापरीक्षक, जिसने 18.11.2005 (समावेशन की तिथि) से 31.12.2009 के लिए मोआना के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की थी, ने अपनी राय का खंडन किया (दिसम्बर 2011) तथा पाया कि चल रहे कार्य को जारी रखने के संदर्भ में कम्पनी की योग्यता संदेहास्पद थी।

- अनुबंध में अनुबंध की शर्तों का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा तथा मोआना द्वारा चूक होने की दशा में सरकारी हितों को सुरक्षित रखने हेतु किसी कार्यनिष्पादन का प्रावधान नहीं किया गया था। अनुबंध के अनुसार, मोआना द्वारा आरेखण प्रदान करने के अतिरिक्त वि.रो.मु.-गु.के. के निर्माण का पर्यवेक्षण करना तथा उसको चालू करना अपेक्षित था। केवल आरेखणों के प्रस्तुतीकरण एवं वि.रो.मु.-गु.के. के निर्माण तथा चालू किए बगैर, बिना किसी सुरक्षा के तय राशि का 90 *प्रतिशत* का भुगतान करने का निर्णय अविवेकपूर्ण था।

- अनुबंध में वि.रो.मु.-गु.के. के पूर्ण होने तथा प्रचालन की कोई तिथि नहीं दर्शाई गई थी।

- अनुबंध में, लाइसेंस अनुबंध हस्ताक्षरित करने के लिए भा.मो.प्रौ.प्रा.लि.-सं.उ.कं. हेतु न तो कोई समय सूची थी, और न ही अनुबंध हस्ताक्षरित न होने की दशा में किसी अर्थदण्ड शर्त को शामिल किया गया था।

उत्तर में, मंत्रालय ने विलम्ब को स्वीकार करते हुए (मार्च 2012) विलम्ब के लिए मोआना तथा भा.मो.प्रौ.प्रा.लि. के बीच अप्रत्याशित विकासों को उत्तरदायी ठहराया। उसने आगे बताया मोआना के प्रस्ताव की कृ.मं./रा.म.वि.बो. में आलोचनात्मक रूप से जांच की गई थी, तथा यह महसूस किया गया था कि मोआना से प्रौद्योगिकी प्राप्त करना लाभकारी होगा। आगे, अनुबंध के हस्ताक्षर होने की तिथि तक संगठन की वित्तीय

[1] 97.45 एकड़ भूमि का अधिग्रहणः ₹ 2.85 करोड़; शुल्कों को भुगतानः ₹ 2.17 करोड़; पहुंच सड़क को बिछानाः ₹ 43.80 लाख तथा अन्य विविध व्ययः ₹ 35.67 लाख।

स्थिति पर संदेह करने की कोई गुजांइश नहीं थी। उसने आगे बताया कि रा.म.वि.बो. तथा मोआना के बीच बातचीत करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अथवा अधिगृहित भूमि का वैकल्पिक उपयोग करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे।

मंत्रालय का उत्तर दर्शाता है कि अनुबंध का निष्पादन करने से पूर्व भागीदारों की वित्तीय स्थिति के संबंध में कोई यथोचित उद्यम नहीं किया गया था। तथ्य यह रहता है कि बातचीत करने से कोई ठोस परिणाम प्रकट नहीं हुआ था, तथा अप्रैल 2013 तक भूमि को किसी वैकल्पिक उपयोग हेतु काम में नहीं लाया गया था।

इस प्रकार, सुविधा के विभिन्न पहलुओं पर ₹ 5.82 करोड़ (विदेशी कम्पनी को परामर्श शुल्क के रूप में दिए गए ₹ 2.17 करोड़ को मिलाकर) व्यय करने के बावजूद विचारित वि.रो.मु.-गु.के. को स्थापित नहीं किया जा सका तथा भारतीय कृषकों को रोगमुक्त शुक्राणु की आपूर्ति करने का अभिष्ट लाभ निर्णय के सात वर्ष बीत जाने के बाद तक पूर्ण नहीं हुआ।